

नगर पालिका, उदयपुरवाटी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/UDAIPURWATI/FIRENOC/2025-26/55371
जारी दिनांक: 18-JUL-2025 वैधता दिनांक: 17-JUL-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: MANI RAM
आवेदक का पता: WARD NO 25 JAKHADO KI DHANI PARASRAMPURA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन CENTRAL ACADEMY SHIKSHA SAMITI, MG GLOBAL SCHOOL, KUDALO KA MOHALLA, GUDHA GORJI, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करवाया जाना आवश्यक होगा।
2. निरीक्षण के दौरान दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना करना होगा।
3. यदि राज्य सरकार द्वारा कोई नियम- उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
4. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा।
6. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिये खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
7. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोट पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावेगा।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे।
9. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 वर्ष कि अवधि के लिये; मान्य होगा। 1 वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
10. अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल मात्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये नक्शों के लिये ही मान्य होगा।
11. यह प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा के लिये ही मान्य होगा।
12. संस्थान में निरीक्षण के दौरान उपभोगी परिसर में समुचित फायर उपकरण चालु हालत में नहीं पाये जाने पर नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 291 के अन्तर्गत 5000/- रुपये की शर्तित लगाकर कार्यवाही की जावेगी।
13. पानी के टैंक को हर समय भरा रखना होगा व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील अवस्था में रखने के लिये बाध्य होंगे।
14. भूमि व भवन संबंधी किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
15. 1 वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 वर्ष कि अवधि के लिये; मान्य होगा। 1 वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

Signed by: Tofik Ahamed
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: UDAIPURWATI, Rajasthan
Date: 18/07/2025 12:34:22



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, उदयपुरवाटी